

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेले फिलिपा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 31 मार्च 2026 मंगलवार

सम्पादकीय

सोशल मीडिया के खतरे

अमेरिका में लॉस एंजेलिस की एक जूरी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के घातक प्रभावों से त्रस्त एक युवती के पक्ष में सुनाया गए ऐतिहासिक फैसले से दुनिया भर के अभिवाकों को राहत मिली है। दरअसल, सोशल मीडिया की लत लगाने से जुड़े एक मामले में मेटा और यूट्यूब पर 56 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। उल्लेखनीय था कि एक युवती ने मेटा और यूट्यूब पर आरोप लगाया था कि इनकी वजह से उसे सोशल मीडिया की घातक लत लगी। हालांकि, अब तक ये कपनियां दलील देती रही हैं कि वे मात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं और इसकी सामग्री के लिये जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन कोर्ट में वकीलों ने पीछिठा के पक्ष में दलील दी कि जानबूझकर इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं ताकि उपयोगकर्ता कथित सोशल मीडिया की लत के शिकार बन जाएं। शुरुआत से पहचान गुप्त रखने वाली बीस वर्षीय युवती केली के वकीलों की दलील को जूरी ने स्वीकार किया कि इस लत से उसकी मानसिक सेहत को नुकसान हुआ है। जूरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की दलीलों को दरकिनार करते हुए मेटा और यूट्यूब पर सात लाख अमेरिकी डॉलर यानी छप्पन करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है। जूरी ने माना कि गूगल तथा मेटा ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के संचालन में अपने मुनाफे के महेशजान अनुचित उपयोगों का सहारा लिया है। जूरी ने इसे अनैतिक भी बताया। जूरी के निर्णय के अनुसार इस मामले में जुर्माने की सत्तर फीसदी राशि मेटा तथा तीस फीसदी रकम गूगल को चुकानी होगी। उल्लेखनीय है कि पूरी दुनिया में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के विरुद्ध हजारों मुकदमों चल रहे हैं। जिसमें कई वे लोग भी शामिल हैं जिनके बच्चों ने सोशल मीडिया की लत का शिकार होकर आत्मघाती कदम उठाये हैं। ब्रिटेन समेत कई देशों में अभिभावक इस लत से बच्चों को बचाने के लिये आंदोलन करते रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका में ही विभिन्न अवसरों में सोशल मीडिया के घातक प्रभावों से बच्चों को बचाने के लिये सैकड़ों मामले चल रहे हैं।

विश्वास किया जा रहा है कि इस मुकदमे के फैसले का प्रभाव उन तमाम मामलों में भी पड़ सकता है, जो दुनिया के विभिन्न देशों में चल रहे हैं। हालांकि, दोषी पाये गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के कर्ताधर्ता इस फैसले से असहमित जताते हुए इसमें खिलाफ अपील करने की बात कर रहे हैं। उनकी दलील है कि किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव के अनेक अन्य कारण हो सकते हैं, जिसके लिये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यूट्यूब के अधिकारियों का कहना है कि ये सोशल मीडिया साइट नहीं, सिर्फ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं। जबकि पीड़ित युवती के वकीलों की दलील थी कि मेटा अधिक कपनियों ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की संरचना ऐसी बनायी है कि किशोरों को इसकी आदत लग जाए। हकीकत ये है कि भारत समेत दुनिया के करोड़ों किशोर इसकी लत के शिकार बन रहे हैं। यही वजह है हफ्तों तक मुकदमे के दौरान बड़ी संख्या में किशोरों के अभिभावक वादी के पक्ष में अदालत के परिसर में मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि इस फैसले से पहले न्यू मैक्सिको में एक जूरी ने मेटा को इस बात के लिये जवाबदेह ठहराया कि उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वयस्कों की सामग्री तक बच्चों की पहुंच बनी है, जिससे उनके जीवन में यौन अपराधियों का खतरा बढ़ गया है। भारत समेत कई विकसित व विकासशील देशों में सोशल मीडिया से बच्चों के जीवन में पड़ने वाले घातक प्रभावों को लेकर चिंता सालों से बनी हुई है।

लेकिन देश में इस बाबत कोई नियामक कानून न होने से कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आती। बच्चों की पढ़ाई खराब होने और उनके मानसिक रोगों से ग्रस्त होने की आशंका से अब अभिभावक आक्रोश व्यक्त करने लगे हैं। यही वजह है कि दुनिया के विकसित देशों में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बच्चों को दूर रखने के लिए कानून बन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस और अब अन्य यूरोपीय देश भी इस दिशा में पहल कर रहे हैं ताकि एक निर्धारित आयु से ऊपर के बच्चे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच बना सकें।

दुश्मनों पर निगाह रहे और सभी से संवाद



—ज्योति मल्होत्रा—

कूटनीतिक दायरे में पाकिस्तान की आचानक बढ़ी मौजूदगी भारत की स्थिति को लेकर असहज करने वाले सवाल खड़े करती है। ऐसे में हमें अपनी विदेश नीति, संबंधों और स्थिति पर आत्म-मंथन की जरूरत है। यह भी कि अपना सा देश बुद्धिपूर्वक अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश करके भारत से आगे कैसे निकल गया व दुनिया उसकी चुन क्यों रही है?

विदेश मंत्री एस. जयशंकर विस्फुल्ल सही थे जब उन्होंने एक सप्ताह की शुरुआत में पश्चिम एशिया संकट पर हुई सर्वदलीय बैठक में कहा था कि भारत कोई दलाल देश नहीं है। जयशंकर, जो खुद एक पूर्व राजनयिक हैं और शायद ही कहें तो महत्व सम्झते हैं, उन्होंने हिंदी शब्द 'दलाल' का उपयोग किया, जिसका अर्थ है विचौलिया, जब विष्णू नेनाओं ने उनसे ईरान के खिलाफ अमेरिका और इराक के चल रहे चार हफ्ते लंबे युद्ध को खत्म करवाने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे पूछा। समझा जा सकता है कि जयशंकर मूक थे। मानवीय सहायता सुकृष्ट पूछ रहे थे और, इस तरह — फारस की खाड़ी में जारी संघर्ष में भारत की स्थिति की पाकिस्तान से तुलना कर रहे थे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का सैन्य-प्रतिष्ठान, जिसकी अनुवादी डोनाल्ड ट्रंप के 'पसदीवा फौलड मार्शल' आसि



मूलौर कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका के बीच संदर्शों का आदान-प्रदान कर रहा है, जिसने ट्रंप के 6 अंश तक युद्ध विरोध की घोषणा करने में मदद की है। पाकिस्तान ने बाताओं की मेजबानी करने की पेशकश की है। शायद यह भारत के लिए आत्म-मंथन करने का उचित असर है कि एक प्राचीन और अद्वितीय सभ्यता के लोग कुदरत आधुनिक और तेज रफ्तार दुनिया में आंखि किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय लोग विदेश नीति के मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते— इसी से संसृष्ट है कि अल बिहारि वाजपेयी, मोहनसिंह और नरेंद्र मोदी जैसे विभिन्न प्रधानमंत्री हमें विदेशों के बड़े और बुरे प्रभावों से जयादातर सुरक्षित रखते रहे हैं।

कुछ बातें हम जानते हैं। पहली, कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, भले ही प्रति व्यक्ति आय के मामले में (लगभग 2,700-3,000 डॉलर) हम देशों की सूची में 140वें स्थान पर हैं। दूसरी, भारतीय प्रवासियों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, खासकर अफ्रीका में। और तीसरी, विश्व बन पर भारत का मुख्य प्रतिद्वंद्वी चीन है,

न कि छोटा सा पाकिस्तान। तब फिर, अदना सा पाकिस्तान, युद्धरत अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश करके भारत से आगे क्यों निकल गया— इससे भी अमर यह कि दुनिया उसकी चुन क्यों रही है? बतिए, एक कदम पीछे हटें। शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। सही सवाल यह नहीं कि क्या पाकिस्तान भारत से आगे निकलने में सफल रहा— यह खेले कई तर्कों से और कई मौकों पर खेला जा चुका है। बल्कि क्या भारत अपनी उर उर उर पर टिक पाया है, एक ऐसा राष्ट्र, जिसके केंद्र में एक खास नैतिकता रही है। यह जिस पर हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही मरतल जा रहे हैं, तब पुन रहना, लेकिन फिर भी वह देश, जो किसी अनेतिक या अन्यायपूर्ण लड़ाई का समर्थन नहीं करता।

यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है—अपनी धुरी की ओर लौटने की जरूरत। इसलिए, भले मेजबान बेजामिन नेत्याहू द्वारा अमेरिका संग मिलकर ईरान को तबाह करने के मसूचे से हवाई हमले का आदेश देने से दो दिन मुंदी इराकाल गए थे, लेकिन सच यह कि मोदी सरकार को उसके बाद अमेरिका—इराकाल का खुलकर पक्ष लेने वाली अपनी पूर्व स्थिति छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। भारत ने शायद ट्रंप और नेत्याहू की तरह ही सोचा था कि ईरान धरती के सबसे ताकतवर देशों का मुकामला नहीं कर पाएगा। (भला किसकी हिम्मत है?) यह भी कि कि किसी भी शूरत में, अमेरिका—इराकाल—यूएई त्रिकोण में उसके बहुत बड़े हित हैं— व्यापार, प्रवासी, रक्षा—और अपना शुरुआती रुख अपनापने से कुछ आरुनी पॉइंट्स (अतिरिक्त लाभ) मिल सकेंगे।

बदकिस्ती से, वैसा हुआ नहीं। एक दुर्भाग्यपूर्ण और अन्यायपूर्ण युद्ध में एक पक्ष का साथ देकर भारत ने उस मसूचे को तज दिया, जिसकी सीख भारत के एक सतुत गौरव बूढ़ ने सटियों पहले दी थी। राजनीतिक रूप से द्वा प्रणामनीय है अत्यर उर उर व्यापक बेवोनी को मांग लिया होगा जो अमेरिकी मिसाइलों द्वारा ईरानी सैनिकों नेता अली खामेनेई की निर्मम हत्या के बाद फौली थीर्या ईरान के निभाव में एक कृष्ण पर हुई बमबारी पर, जिस पर अंततः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रतिक्रिया कर दिए थे। अगर आप पाकिस्तान के अर्थ क्या चल रहा है, इस बात में सिर्फ 'न्यूयॉर्क टाइम्स' और 'वैल स्ट्रीट जर्नल' के जास पाते हैं, और पाकिस्तान के 'डॉन या' 'द न्यूज' से नहीं, तो आपकी जानकारी—सम्झने की क्षमता सीमित रह जाएगी। तीसरी सीख यह कि आपकी अपने पसदीवा चाणव्य के नियमित पढ़ने से मिलती है। 'जहां आधिकारिक अपने दोस्तों को कथित रचना बाहिर आने इतना दुर्भाग्य को और भी जू जाया करीब रक्षाना चाहिए। इतिहास द ट्रिब्यून की संवाद है।

मानवता चुका रही संघर्षों—युद्धों की कीमत



—सुरेश सेठी—

मौजूदा वैश्विक महासूत्र में यह सुकृष्ट होता जा रहा है कि कई संघर्षों में नागरिकों, अस्पतालों और स्कूलों की सुरक्षा से जुड़े मानवीय सिद्धांतों की अनदेखी हो रही है। युद्ध व संघर्ष का सबसे अधिक दुष्प्रभाव आम लोगों पर पड़ रहा है। समूह देशों में स्थापित हथियार निर्माण उद्योग एक अत्यंत लाभकारी क्षेत्र बन चुका है। इन उद्योगों के कारण वैश्विक स्तर पर हथियारों की मांग बनी रहती है, और कई बार यह धारणा बनी है कि युद्ध और तनाव की स्थितियां इन उद्योगों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देती हैं। परिणामस्वरूप, हथियारों के निर्माण से संभावित देशों की अर्थव्यवस्था और सरकारी राजस्व को भी लाभ होता है। आज दुनिया में यह धारणा प्रबल होती है कि हथियार उद्योग के आर्थिक हित रहने के विभिन्न हिस्सों में संघर्षों के बने रहने से जुड़े रहते हैं। एक और शक्तिशाली देश शक्ति और स्वाद की आवश्यकता पर जोर देते हैं, वहीं दूसरी ओर कई बार उनका कदम ऐसे दिखाई देते हैं जो संघर्षों को लंबा खींच देते हैं। विश्व रूप से खनिज संसाधनों से समृद्ध छोटे देशों में होने वाले युद्ध अक्सर भी अनधिकार कर बढ़ते हैं, जिनका सबसे अधिक का बोल आना नागरिकों को उठाना पड़ता है। रूस द्वारा यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध किया गया युद्ध इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो खनिज ससाधनों और सामरिक हितों से जुड़ी जटिलताओं के कारण चार साल से जारी है।



तौर पर इराकाल के लोगों की रक्षा करने के रूत में उभरता है, लेकिन असल खलिश यही है कि ईरान ने अपने ही तरीके से जीने की हिम्मत क्यों की? यहां भी आत-दर दिनो में युद्ध निपटा देने की कल्पना की गई थी। पहले ही दिन ईरान की सर्वोच्च निकाय को साफ कर देने के बाद भी इस युद्ध का अंत अब तक नजर नहीं आया। अमेरिका को यह युद्ध कहां तक बच गया है। यह युद्ध कहां तक है कि यह युद्ध लम्बा हो जाएगा, जिसका असंतोष अमेरिका के आम लोगों में भी अब नजर आने लगा है। वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न हिस्सोंमें उठते गाजा पट्टी, ईरान और अफगानिस्तान में चल रहे संघर्ष यह दर्शाते हैं कि युद्धों का दायरा लगातार फैल रहा है। परिणामस्वरूप निर्यात दुनिया के अनेक भागों में युद्ध के कुछ मानवीय नियम माने जा रहे हैं, जिनके अनुसार संघर्ष केवल सेनाओं तक सीमित होना चाहिए और आम नागरिकों, अस्पतालों तथा विद्यालयों को इससे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में यह देखा जा रहा है कि इन सिद्धांतों की अस्तर अनदेखी हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात नागरिक, मजदूर और बच्चे भी युद्ध की विभीषिका का शिकार बन रहे हैं।

आधुनिक भारत हथियारों से लेते युद्धरत देश मानवीय मूल्यों की परवाह किए बगैर रक्षा के साथ मीत बसा रहे हैं। इराकाल और अमेरिका की साझी सेनाओं ने गाजा पट्टी को नष्ट कर दिया। हाल के संघर्षों में नागरिकों को बने हानतों को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। दुनिया से जुड़े प्रसन्नकारकों में स्कूलों और आम नागरिकों पर हथियों के आरोप नए, जिनमें अनेक मामलों की मृत्यु की खबरें सामने आईं, हालांकि संभावित पक्षों ने इन दावों से इनकार किया और केवल सैन्य ठिकानों को निशाना

बीमा सुरक्षा का माध्यम बने, न कि मुनाफे का जाल

—ललित गर्ग—

बीमा का मूल उद्देश्य जीवन की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करना है। यह व्यवस्था व्यक्ति को बीमारी, दुर्घटना या अन्य संकटों के समय आर्थिक सहायता देती है। परंतु आज के दौर में यह व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य से भटकती हुई दिखाई दे रही है। विशेषकर स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में जो जटिलताएं, अपारदर्शिता और मनमानी देखने को मिल रही है, उससे आमजन के विश्वास को गहरी चोट पहुंचाई है। बीमा, जो सुरक्षा का माध्यम होना चाहिए था, वह कई बार शोषण का उपकरण बनता जा रहा है। वर्तमान समय में विकसिता समाजों में जटिल अर्थिक ऋक बढ़ चुकी है। निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च लाखों में पहुंच जाता है। सरकार के द्वारा रियायतों मूल्यों पर उपलब्ध कई भूमि पर बने अस्पताल आम गरीबों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य बीमा एक आवश्यक कवच के रूप में उभरता है। बीमा कपनियों भी इसी भाव और मरिथ्य की अनिश्चितता का उपयोग कर लोगों को पॉलीसी खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन वास्तविक समस्या तब सामने आती है जब बीमा धारक को उसकी जरूरत होती है। दावों के निपटान के समय कपनियों अनेक तकनीकी कारणों, शर्तों और अपवादों का हवाला देकर मुनाफत से बचने का प्रयास करती हैं।



विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, हर वर्ष करोड़ रुपये के बीमा दावे हर वर्ष खारिज कर दिए जाते हैं। यह स्थिति न केवल वित्तजनक है, बल्कि बीमा कपनी की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल लाती है। अस्वर देखा गया है कि पॉलीसी लेते समय ग्राहकों को शर्तों की पूरी जानकारी नहीं दी जाती। जटिल भाषा में लिखे गए नियम और शर्त आम व्यक्ति की समझ से बाहर होती हैं। परिणामस्वरूप, जब दावा प्रस्तुत किया जाता है, तो उन्हीं शर्तों को आधार बनाकर मुनाफत रोक दिया जाता है। इस समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू निजी अस्पतालों और बीमा कपनियों के बीच संभावित गठजोड़ भी है। कई मामलों में अस्पताल

आर्थिक बिलिंग करते हैं और बीमा कपनियों कम मुनाफत करती हैं, जिससे मजदूर को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। यह स्थिति विशेष रूप से मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के लिए अत्यंत पीड़ादायक होती है। कई बार तो ऐसे घटनाएं भी सामने आती हैं, जहां अस्पतालों के ग्राहकों राशि के कारण मजदूर के शव को तक ले लेते हैं। जो मानवीय हितों के विरुद्ध है। यदि हम विकासित देशों की तुलना करें, तो वहां बीमा प्रणाली अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी है। दावों का निपटान समयबद्ध और न्यायविरत तरीके से किया जाता है। भारत में भी भारतीय बीमा प्रधिकरण और विकास प्राधिकरण (आईआरडीआई) जैसे नियामक संस्था मौजूद हैं, जिनका उद्देश्य बीमा क्षेत्र को नियंत्रित और संतुलित करना है। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर इनकी प्रभावशीलता पर प्रश्न उठता है। नियामक तंत्र की निष्क्रियता या सीमित हस्तक्षेप के कारण बीमा कपनियों की मनमानी प्रथा अस्वरक है। पॉलीसी दरताओं का आम भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी उसकी शर्तों को समझ सके। इसके साथ ही, बीमा एजेंटों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि वे ग्राहकों को पूरी और सही जानकारी देते। गतत जानकारी देकर पॉलीसी बेचने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है—दावा निपटान प्रक्रिया का सरलीकरण। बीमा दावों के लिए एक मानकीकृत और समयबद्ध प्रक्रिया लागू की जानी

